उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1
संख्या-07/2019/110/14-1-2019-19/2004 टी0सी0
लखनऊः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2041/14-1-2008-19/93/2004 टी0सी-1, दिनांक 01.08.2008 द्वारा श्री वाई0एस0के0वी0आर0 शेषुकुमार, भा0व0से0 (उ0प्र0-1987) को वन संरक्षक वेतनमान रू0-16400-450-20000 में पदोन्नति/नियुक्ति प्रदान करने के आदेश किये गये है।

2- श्री शेषु कुमार के पत्र दिनांक 05.09.2018 द्वारा अपने कनिष्ठ श्री बी0 अवनि कुमार , भा0व0से0 (1987बैच) को वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि 01.04.2006 से उन्हें भी वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-ई0शा0-218/14-1-2018, दिनांक 06.09.2018 के माध्यम से संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक, विचारोपरान्त श्री वाई0एस0के0वी0आर0 शेषुकुमार, भा0व0से0 (उ0प्र0-1987) को वन संरक्षक वेतनमान रू0-16400-450-20000 में पदोन्नति/नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-2041/14-1-2008-19/93-2004 टी0सी0-1, दिनांक 01.08.2008 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए श्री वाई0एस0के0वी0 आर शेषुकुमार, भा0व0से0 (1987बैच) को उनसे कनिष्ठ श्री बी0 अवनि कुमार , भा0व0से0 (1987 बैच) को वन संरक्षक (वेतनमान रू0-16400-450-20000) में पदोन्नति/नियुक्ति किये जाने की तिथि 01-04-2006 से वन संरक्षक (तत्समय का वेतनमान रू0-16,400-450-20000) में पदोन्नति/नियुक्ति प्रदान की जाती है।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-07/2019/110(1)/14-1-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in